



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.06.26

थाना कोतवाली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 338/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक गाडी FRONX व चोरी किये गये 1 लाख 55 हजार रूपये बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.05.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री आशीष कुमार पुत्र स्व: मोहन लाल गर्ग निवासी बडतला निकट डा0 अविनाश जैन सहारनपुर ने प्रार्थना पत्र दिया कि कैब चालक गाडी नं0 UK07TE 3010 के चालक नदीम पता अज्ञात द्वारा गाडी में रखे वादी के बैग से लैपटॉप, रूपये व अन्य सामान चोरी कर ले गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 338/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 338/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत में वांछित 01 अभियुक्त नदीम पुत्र गफ्फार



निवासी मौ0 बडीयाल वार्ड न0- 09 कैराना थाना कैराना जनपद शामली उम्र करीब 32 वर्ष

को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक गाडी FRONX व चोरी किये गये 01 लाख 55 हजार रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. नदीम पुत्र गफ्फार निवासी मौ0 बडीयाल वार्ड न0- 09 कैराना थाना कैराना जनपद शामिली उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी किये हुए 01 एक लाख 55 हजार रूपये (1,55,000)
- घटना मे प्रयुक्त एक गाडी FRONX सफेद रंग रजि0 नं0 UK07TE 3010 (क्षतिग्रस्त हालत में)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1-उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना कोतवाली बागपत
- 2-है0का0 151 संदीप दहिया थाना कोतवाली बागपत
- 3- है0का0 652 मोहित कुमार थाना कोतवाली बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 25.06.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 183/2026 धारा 140(4) बीएनएस व 5m/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध की कार्यवाही।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 183/26 धारा 140(4) बीएनएस व 5m/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम –

1- नि० श्री सुखपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2- रि० का० 233 दीपक जुर्लैल थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 25.06.2026

थाना रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 एक अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद ।

कार्यवाही –

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सावेज पुत्र मौ० युनुस निवासी कस्बा एलम थाना काँधला जनपद शामली उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

- एक अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ०नि० श्री सन्नवर अली थाना रमाला जनपद बागपत
- 2-है०का० 697 शक्ति सिंह थाना रमाला जनपद बागपत
- 3-रि०का० 503 विश्वास पचौरी प थाना रमाला जनपद बागपत
- 4-हो०गा० 599 लोकेश थाना रमाला जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 25.06.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 186/26 धारा
191(2)/191(3)/190/333/131/109(1)/110/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित
02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 24.06.26 को थाना बिनौली पर वादी श्री युनुस पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मुस्तकीम ,2.नवाव ,3.मोमिन 4.गुलशेर पुत्रगण दीनू 5.मीरू 6.कोल्लू उर्फ आसू पुत्रगण मोमिन



,7.फुरकान 8.हसन 9.छोटू 10. वसीम पुत्रगण नवाब निवासीगण ग्राम बिजवाडा ,थाना बिनौली जिला बागपत द्वारा अपने हाथों में तमंचा, लोहे की छड, चाकू छुरी से लैस होकर वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिवार के लोगों पर जान से मारने की नियत से हमला किया व वादी की पुत्री को जान से मारने की नियत से छत से फेंक दिया, जिससे वादी के परिवार के लोगो को गंभीर चोटें आई हैं वादी की पत्नी बेहोश हो गई । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु०अ०सं० 186/26 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/109(1)/110/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 186/26 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/ 109(1)/110/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 1.कोल्लू उर्फ आसू पुत्र मोमिन व 2.हसन पुत्र नबाव को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-कोल्लू उर्फ आसू पुत्र मोमिन निवासी बिजबाडा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 19 वर्ष
- 2-हसन पुत्र नबाव निवासी बिजबाडा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली बागपत।
2. रि0का0 147 अभिषेक कुमार थाना बिनौली बागपत।
3. रि0का0 146 विनय कुमार थाना बिनौली बागपत।

